स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस–नोट संख्याः 353, दिनांक : 04–11–2021

जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा क्षेत्र में दिनांक–17–04–2021 को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की हत्या सहित कुल 02 मुकदमों में वांछित एवं 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अयूब गिरफ्तार।

दिनांक–04.11.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा क्षेत्र में दिनांक–17.04.2021 को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की हत्या सहित कुल **02 मुकदमों में वांछित** एवं **50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित** अभियुक्त अयूब को थाना क्षेत्र जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अयूब पुत्र सरफराज, निवासी ग्राम फूलपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी :–

1– 01 अदद तमन्चा 315 बोर।
2– 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3– नकद 1050/– रूपये

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय

नौतोरवां सिन्धौर मोड़ से करीब 50 मीटर आगे लीलापुर रोड की तरफ ग्राम फूलपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, दिनांक :–04.11.2021 समय प्रातः 08:05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः–04.11.2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि माह अप्रैल, 2021 में थाना जेठवारा क्षेत्र में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में प्रचार–प्रसार के दौरान हुई हत्या में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0–153/2021 धारा–302/323/34 भादवि व मु0अ0सं0–160/2021 धारा–147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का वांछित व 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी अयूब उपरोक्त लीलापुर रोड की तरफ से अपने घर ग्राम फूलपुर जाने वाला है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, मु0आरक्षी दिलीप त्रिपाठी, अश्वनी कुमार सिंह, आरक्षी हबीब सिद्दीकी, पंकज तिवारी व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान

पर पहुँचकर न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अयूब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि बी0डी0सी0/प्रधानी चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों का नसीम व ऐनुल पुत्रगण शरीफ व अन्य से झगडा हो गया था, जिसमें हम लोगों ने वकील अहमद उर्फ मुण्डा के साथ मिलकर ऐनुल व नसीम को लाठी, डण्डों, कुल्हाड़ी व फायर करके मार दिया था, जिससे वह बेहोश होकर मौके पर गिर गये थे। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इनकी मौत के जुर्म में कहीं फंस न जाये इस लिए वकील अहमद उर्फ मुण्डा के कहने पर ही हम लोगों ने एक राय होकर विचार बनाया कि अपने एक साथी को घायल कर दिया जाये ताकि हम लोग क्रास एफ0आई0आर0 करवाकर अपनी बचत कर सकें। इसी बात पर वकील अहमद उर्फ मुण्डा ने हम लोगों के साथ मिलकर वहीद पुत्र उमर, निवासी सिन्धौर नौतोरवां, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ की गोली मारकर घायल कर दिया था लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0–153/2021 धारा–302/323/34 भादवि व मु0अ0सं0–160/2021 धारा–147/148/149/323/504/506/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट और मु0अ0सं0–434/2021 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

अयूब पुत्र सरफराज, निवासी ग्राम फूलपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ का ज्ञात आपराधिक इतिहास :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	25/2001	147/148/149/384/504/506/427 भादवि व 7 सी एल ए एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
2.	114/2002	323/504/506/324 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
3.	82/2002	352/504/506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
4.	96/2002	2/3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
5.	91/2009	354/323/504/506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
6.	160/2009	गुण्डा अधिनियम	जेठवारा	प्रतापगढ़
7.	117/2014	110 जीसीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
8.	153/2021	302/323/34 भादवि **(वांछित)**	जेठवारा	प्रतापगढ़
9.	160/2021	147/148/307/323/506/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट **(वांछित)**	जेठवारा	प्रतापगढ़